राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1207/2015/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, आबूरोड़ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिव कान्क्रीट टेक्नोलाजी एण्ड कंसलटेंसी प्रा0लि0,
पाली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–राजस्व की ओर से
श्री पी.एम.चौपड़ा

अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27/04/2018

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 151/14–15/वैट/अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, आबूरोड (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनयम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति रुपये 1,02,082/–को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम, आबूरोड़ द्वारा दिनांक 05.12.2013 को वाहन संख्या आर जे19–जीसी–0285 को एन.एच–2 सावल पर रूकवा कर चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी श्री रामलाल ने कथन किया कि वाहन में एम.एस.पाइप, जाली, आयरन पतरा एवं प्लास्टिक टैंक भरा है जो बडोदरा(गुजरात) से पाली मारवाड(राज0) के लिए परिवहनित किया जाना बताया गया। माल के समर्थन में उन्होंने मै0 शिवम कान्क्रीट टैक्नोलोजी एण्ड कंसल्टेंसी प्रा0लि0 द्वारा इन्टरनल चालान नं0 1182 दिनांक 04.12.2013, फार्म नं0 402 गुजरात वेट एक्ट2003, के तहत जारी दो प्रतियों में तथा औथोराईज्ड लेटर मै0 शिवम कांन्क्रीट टेक्नोलोजी एण्ड कसल्टेंसी प्रा0लि0 बडोदरा दिनांक 04.12.2003 साइट टू साइट ट्रांसफर आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज के साथ फार्म वैट–47 नहीं पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया कर योय एवं अधिसूचित श्रेणी का माल एम.एल.पईप,जाली,आयरन पतरा एवं प्लास्टिक टैंक को बिना वेट–47 के बडोदरा से पाली मारवाड कम्पनी की ब्रांच के लिए परिवहनीत किया जाना पाये जाने के कारण, कर योग्य एवं अधिसूचित माल को स्टॉक ट्रांसफर के

लगातार.....2

रूप में आयात पर वेट–47 होना आवश्यक है। अतः वाहन को मय माल निरूद्ध किया एवं अपना पक्ष एवं स्पष्टीकरण पेश करने हेतु नोटिस जारी किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 76(2)(बी)(सी) सपठित नियम 53(ii) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने हेतु उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर पाली के आदेश दिनांक 09.12.2013 के तहत पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। सशक्त अधिकारी ने कर योय एवं अधिसूचित श्रेणी का माल एम.एस.पाईप, जाली,आयरन पतरा एवं प्लास्टिक टैंक को बिना वेट–47 के बडोदरा से पाली मारवाड कम्पनी की ब्रांच के लिए परिवहनीत किये जाने एवं अधिसूचित माल को स्टॉक ट्रांसफर के रूप में आयात पर वेट–47 होना आवश्यक होने से अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब के साथ वैट 47 क्रमांक 2888519 पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए माल कीमतन रुपये 3,40,274/– पर 30 से शास्ति रुपये 1,02,082/– प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि मै0 शिवम कान्क्रीट टैक्नोलोजी एण्ड कंसल्टेंसी प्रा0लि0 द्वारा इन्टरनल चालान, गुजरात वेट एक्ट2003, फार्म दो तथा औथोराईज्ड लेटर साइट टू साइट ट्रांसफर आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। प्रत्यर्थी के द्वारा विभाग मे दिनांक 03.12.2013 को वेट–47 लेने हेतु आवेदन किया जिसे विभाग द्वारा विलम्ब से वेट–47 दिनांक 06.12.2013 को जारी किया गया जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उसी दिन सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। उन्होनें अधिसूचना दिनाक 8.7.2009 के तहत परिवहनित माल वेट–47 से होना मुक्त बताया। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे नजर अन्दाज करते हुए शास्ति आरोपण करने में विधिक भूल की हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.पी.मैटल 124 एसटीसी पेज 611 तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम डेबू एन्चोर इलेक्ट्रोनिक्स (2017) 27 वेट रिपोर्टर पेज 343 पेश किये तथा ई–चालान भी पेश करते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि मै0 शिवम कान्क्रीट टैक्नोलोजी एण्ड कंसल्टेंसी प्रा0लि0 द्वारा इन्टरनल

लगातार.....3

चालान, गुजरात वेट एक्ट,2003, गुजरात का फार्म दो तथा औथोराईज्ड लेटर साइट टू साइट ट्रांसफर आदि दस्तावेज माल प्रभारी द्वारा जॉच के समय प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रत्यर्थी के द्वारा विभाग मे दिनांक 03.12.2013 को वेट–47 लेने हेतु आवेदन किया जिसे विभाग द्वारा विलम्ब से वेट–47 क्रमांक 2888519 दिनांक 06.12.2013 को जारी किया गया जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उसी दिन दिनांक 6.12.2003 सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.पी.मैटल 124 एसटीसी पेज 611 तथा में यह स्पष्ट कर दिया कि उचित कारणों से घोषणा प्रपत्र संलग्न न किया गया हा एव जवाब के साथ पश कर दिया हो तो शास्ति आरोपित नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी के परिवहनित माल के संबंध में धारा 76(2) का उल्लंघन करना प्रमाणित नहीं होता हे एवं सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति अधिरोपण विधिसम्मत नहीं है।

6. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया

(नत्थूराम)
सदस्य